बिहार सरकार
लघु जल संसाधन विभाग
मुख्यालय, अनुश्रवण

सं0सं0–ल0सिं0मो0–(मो0)–CM-e-dash-06/2020- 1579 (मो0) / *पटना, दिनांक–* 18/8/2020

प्रेषक,

ई0 रवीन्द्र कुमार सिंह,
अधीक्षण अभियन्ता,
(मुख्यालय), अनुश्रवण,
लघु जल संसाधन विभाग, पटना।

सेवा में,

कार्यपालक अभियन्ता,
लघु सिंचाई प्रमण्डल, गया।

विषयः–**गया जिलान्तर्गत जल–जीवन–हरियाली अभियान के तहत पईन/नहर के जीर्णोद्धार के सम्बन्ध में।**

प्रसंगः–**श्री शिव सक्सेना उर्फ शिवाजी कुशवाहा से प्राप्त आवेदन संख्या–शून्य, दिनांक– 03.07.2020**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के सन्दर्भ में **श्री शिव सक्सेना उर्फ शिवाजी कुशवाहा, ग्राम–मोचारिम, जिला–गया** द्वारा गया जिलान्तर्गत ग्राम–पोस्ट–मोचारिम, थाना–बोधगया में अवस्थित अतिप्राचीन नहर, जो खजवती ग्राम के निरंजना नदी के मुहाने से आरंभ होते हुए विभिन्न गांवों से होकर हजारो एकड़ कृषि क्षेत्र को सिंचते हुए महाबोधी मंदिर के नजदीक से, गुजरती है, जिसे अतिक्रमण मुक्त करने एवं जीर्णोद्धार कार्य कराने का अनुरोध किया गया है।

प्रासंगिक पत्र की छाया--प्रति संलग्न करते हुए निदेश दिया जाता है कि पत्र में वर्णित योजना की जांच कर ली जाय। योजना विभाग द्वारा कराये जाने वाली Criteria को पूरा करता है तो इसे अतिक्रमण मुक्त कराने की कार्रवाई की जाय तथा जल–जीवन–हरियाली अभियान में शामिल करने एवं जिला परामर्शदातृ समिति का अनुमोदन प्राप्त करने हेतु सूची जिला पदाधिकारी को उपलब्ध करा दें।

विश्वासभाजन,
18/8/2020
अधीक्षण अभियन्ता,
(मुख्यालय), अनुश्रवण,
लघु जल संसाधन विभाग, पटना।

ज्ञापांक– 1579 (मो0) / *पटना, दिनांक–* 18/8/2020

प्रतिलिपि–अधीक्षण अभियन्ता, लघु सिंचाई अंचल, गया/मुख्य अभियन्ता, लघु जल संसाधन विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/8/2020
अधीक्षण अभियन्ता,
(मुख्यालय), अनुश्रवण,
लघु जल संसाधन विभाग, पटना।

ज्ञापांक– 1579 (मो0) / *पटना, दिनांक–* 18/8/2020

प्रतिलिपि– **श्री शिव सक्सेना उर्फ शिवाजी कुशवाहा, ग्राम+पो0–मोचारिम, थाना–बोधगया, जिला–गया** को सूचनार्थ प्रेषित।

18/8/2020
अधीक्षण अभियन्ता,
(मुख्यालय), अनुश्रवण,
लघु जल संसाधन विभाग, पटना।

D:\AWADH-2020\LETTER-20\AUG-20\E.E. GAYA--J.J.H.A.-05-08-2020-.DOCX

अपी० अभि० अनु०

लघु जल संसाधन विभाग,
मोबाइल-9693212120

सेवा में
2020

पृष्ठों की संख्या -1/5

आदरणीय मुख्यमंत्री, श्री नितिश कुमार जी
मुख्यमंत्री सचिवालय - 4
देशरत्न मार्ग, राजवंशी नगर
पटना, बिहार - 800 001

आदरणीय कृषि मंत्री, श्री प्रेम कुमार जी
कृषि विभाग, स्टेण्ड रोड
वीरचंद पटेल रोड एरिया
पटना, बिहार - 800 015

मोचारीम-पईन/नहर -2019-20

03 जुलाई 2020

मोचारीम पंचायत के दस से अधिक गाँवों को सिंचाई की एक सुविधा देने के साथ-साथ बाढ़ से राहत पहूँचाने वाले पईन/नहर के जीर्णोद्वार में उत्पन्न हुई अवरोध को खत्म करने एवं इस कार्य को पूर्ण करवाने के संबंध में आवेदन

2959/A.S
07/07

महोदय,

1. निम्नलिखित पत्रों के संदर्भ में :-

JS/MS
07-07-2020

(क) सामूहिक हस्ताक्षरित पत्र दिनांक 02 सितंबर 2019 (प्रति संलग्न)।

(ख) जिला लोकशिकायत निवारण पदाधिकारी द्वारा निर्गत परिवाद की अनन्य संख्या की पावती - 435118030111901299(प्रति संलग्न) दिनांक - 10 दिसंबर 2019। ।

(ग) जिला लोकशिकायत निवारण पदाधिकारी द्वारा निर्गत ज्ञापांक - 43511-27281 दिनांक - 26 दिसंबर 2019। परिवाद की अनन्य संख्या - 435118030111901299(प्रति संलग्न)।

(घ) जिला लोकशिकायत निवारण पदाधिकारी द्वारा निर्गत प्रथम अपील करने के अधिकार की पावती - 43511-27847 तथा निर्देश दिनांक - 21 जनवरी 2020। परिवाद की अनन्य संख्या - 435118030111901299(प्रति संलग्न)।

3175(मो)
07-07-2020

(ड.) अद्योहस्ताक्षरित प्रथम याचिका पत्र दिनांक 08 फरवरी 2020 (प्रति संलग्न)।

(च) बिहार लोकशिकायत निवारण, प्रमंडलीय आयुक्त (गया) पदाधिकारी द्वारा निर्गत प्रथम अपीलीय अधिकार के आवेदन पत्र की स्वीकृत ज्ञापांक - 30901-04863 की पावती, परिवाद की अनन्य संख्या - 435118030111901299/1ए दिनांक - 03 मार्च 2020। (प्रति संलग्न)।

(छ) बिहार लोकशिकायत निवारण, प्रमंडलीय आयुक्त (गया) पदाधिकारी द्वारा निर्गत ज्ञापांक - 30901-04863 दिनांक - 19 मार्च 2020। प्रथम अपीलीय परिवाद की अनन्य संख्या - 43511803011190129 9/1ए (प्रति संलग्न)।
(ज) सामुहिक हस्ताक्षरित पत्र दिनांक 29 मई 2020 (प्रति संलग्न)।
(झ)सामुहिक हस्ताक्षरित पत्र दिनांक 12 मई 2020 (प्रति संलग्न)।
(ट) अधोहस्ताक्षरित पत्र दिनांक 01 जून 2020 (प्रति संलग्न)।
(ठ) दैनिक भास्कर समाचार पत्र दिनांक - 23 जुन 2020 (समाचार पत्र का संबंधित पृष्ठ संलग्न)।

2. महोदय, मैं शिवा सक्सेना उर्फ शिवा जी कुशवाहा, मोचारीम ग्राम का स्थायी निवासी हूँ। उपरोक्त पईन/नहर, अतिप्राचीन नहर है जो खजवती ग्राम के निरंजना नदी के मुहाने से आरंभ होते हुए लगभग दस से अधिक गाँवों (काई-चक, बड.की बभनी, छोटकी बभनी, पाकाडीव, भोला-बिगहा, शिवराजपूर, मोचारीम, मस्तीपूर, टिका-बिगहा आदि) की हजारों एकड. कृषि-क्षेत्र को सिंचते हुए महोबोधी मंदिर (बौद्धों की पवित्र भूमि, बोधगया) के काफी नजदीक से गुजरती है और निरंजना नदी में मिल कर विलिन हो जाती है। दशकों पूर्व, यह पईन/नहर उपरोक्त गाँवों के कृषि-क्षेत्र का एकमात्र सिंचाई का माध्यम हुआ करता था। नहर के पानी से खेतों में फसल लहलहाते थे। किसानों को पटवन के लिए कसरत नहीं करना पड.ता था। किसान इस पईन/नहर की कृपा से संपन्न एवं खुशहाल थे।

3. तदोपरांत 90वें के दशक में बिहार सरकार की उपेक्षा के कारण इस नहर का सत्यानाश होता गया और इस पर अतिकमण बढ.ता चला गया। वर्तमान स्थिति में इस नहर में नदी का पानी आना बंद हो गया है और नहर, बदबूदार नाले में परिवर्तित हो चुका हैं। जब कभी अतिवृष्टि होने के कारण बाढ. आता है तो सारा कृषि-क्षेत्र तो डुबता ही है साथ में आस-पास के गाँव भी बाढ. के चपेट में आ जाते है। 2018 ई. में तो महाबोधि मंदिर तक पानी पहुँच चुका था, बोधगया के काफी घर डुब चुके थे । अतः मैंने ग्रामीणों के प्रेरणा से इस जीवनदायिनी नहर/एईन के जीर्णोद्धार का बीड.ा उठाया और कुछ ग्रामीणों के साथ लेकर अंचलाधिकारी से इस समस्या के निदान के लिए वार्तालाप किया। उन्होंने इस कार्य को मनरेगा से कराने का प्रस्ताव दिया, परन्तू इससे कार्य तो पुर्ण हो जाता पर जिस उद्देश्य की पूर्ति हेतु उनके पास गये थे वो पूर्ण न होता क्योंकि मनरेगा से केवल मिट्टी की कटाई होती, नाहीं इस नहर की जमीन की नापी होती, नाहीं अतिकमित जमीन को वापस लिया जाता, नाहीं नदी से सिंचाई के लिए पानी आ पाता और नाहीं बाढ. का समाधान हो पाता और यही हाल रहता तो भविष्य में यह नहर लुप्त हो जाती। जैसा कि आजकल हो रहा है सरकारी जमीनों पर धड. ल्ले से लोग अतिकमण कर रहे है और बिहार सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। जब हमलोगों ने यह तर्क दिया कि अगर मनरेगा से काम होगा तो हमारे एक भी उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगी तो वे हमारे तर्क से सहमत हुए और उन्होंने ही जिलाधिकारी से संपर्क करने की सलाह दिया। अतः हमलोग

Scanned by TapScanner

वापस लौट आये और सामूहिक हस्ताक्षरित पत्र दिनांक - 03 सितंबर 2019 {प्रति संलग्न (1.क)} के माध्यम से जिलाधिकारी (गया) महोदय/महोदया से समस्या के निदान के लिए विनित आवेदन दिया।

4. तत्पश्चात, मामला जिला लोक शिकायत निवारण विभाग को दिनांक - 30 नवंबर 2019 को हस्तांतरित कर दिया (परिवाद की अनन्य संख्या - 43511803011190129 9) तथा लोकशिकायत निवारण के अतंगर्त जिलाधिकारी ने लघु सिंचाई विभाग को इस समस्या का निदान करने का निर्देश दिया । लघु सिंचाई विभाग ने मुझसे नहर के नक्शे की मॉग की। मैं अचंभित था क्योंकि नक्शा तो लघु सिंचाई विभाग के पास भी होना चाहिए था फिर भी मैनें नहर का नक्शा निकलावाकर उनको प्रदान किया। अगली सुनवाई 26 दिसंबर 2019{प्रति संलग्न (1. ग)} को हुई जिसमें लघु सिंचाई विभाग ने यह बताया कि सर्वे किए जाने के दौरान कई जगह नहर की जमीन पर अतिक्रमण होने का विषय उनके संज्ञान में आया है और हमारे विभाग द्वारा अतिक्रमण हटाने का निर्देश अंचलाधिकारी बोधगया को दे दिया गया है। इन दो विभागों के मध्य लम्बे समय तक मामला अटका रहा और कार्य प्रगति न होते देख, मैने प्रमंडलीय आयुक्त के पास 08 फरवरी 2020 को प्रथम अपीलवाद डाला {प्रति संलग्न (1. ड.)}, जिसकी सुनवाई दो तिथियों के रद्द होने के बाद, तीसरी तिथि 19 मार्च 2020 को की। इस सुनवाई में इस समस्या से संबंधित सारे बडे. - बडे. पदाधिकारी उपस्थित हुए और 30 दिनों के भीतर अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया गया {प्रति संलग्न (1. छ)} फिर भी कार्य अटका रहा जबकि इस गॉव का दौरा आदरणीय नितिश कुमार जी ने दो बार किया है। अंतिम दौरा, उनका 2019 में हुआ जब मोचारीम गॉव के प्राचीन तालाब (ऐसी मान्याता है कि इसी तालाब में तपस्या करते हूए सिद्धार्थ गौतम को ज्ञान की प्राप्ति हुई और महात्मा बुद्ध कहलाए) को जीर्णोद्धार करने के लिए किसानों की कई एकड. उपजाउ जमीन का अधिग्रहण किया गया था। इसी दौरे में उनके द्वारा जिलाधिकारी और प्रखंडधिकारी को ये आदेश दिया गया था कि इस गॉव की सारी समस्याओं का यथाशीघ्र समाधान किया जाय। कार्य इसके विपरीत हुआ, अधिकारियों ने मुख्यमंत्री के आदेश की अवहेलना तो की ही, साथ में राज्य सरकार द्वारा संचालित "जन-जीवन हरियाली योजना" की भी धज्जियॉ उड.ा दी। उस गॉव के साथ अन्याय किया गया, जिस गॉव को बोधगया प्रखंड ने "नल-जल योजना" में प्रथम पुरस्कार से सुशोभित किया था।

5. इतना ही नहीं, लालफीताशाही की प्रकाष्ठा तो तब हो गयी जब प्रमंडलीय आयुक्त के निर्देश के बावजुद इस पर कोई कार्यवाई तो हुई नहीं बल्कि इस नहर/पईन को साफ कराने के लिए बोधगया प्रखंड ने मई 2020 के पहले सप्ताह में मनरेगा के द्वारा नहर की मिट्टी कटाई आरंभ कर दिया। 2019 ई. में बोधगया प्रखंड ने मनरेगा से जिस कार्य को करने से उद्देश्य पूर्ति न होने के तर्क से सहमत थे वे उसी कार्य को करने के लिए इतने उत्साहित थे कि प्रमंडलीय आयुक्त के आदेश की भी अवहेलना कर दिए। जब मेरे संज्ञान में ये मामला आया तो मैने तुरंत जिलाधिकारी को पत्र दिनांक -12 मई

Scanned by TapScanner

2020 {प्रति संलग्न (1 झ)} के द्वारा अवगत कराकर यथाशीघ्र कार्य रुकवाने की विनती की। जिलाधिकारी के आदेश पर कार्य तो रोक दिया गया पर अभी तक अतिक्रमण नहीं हटाया गया।

6. अब ये मामला तूल पकड. चुका था । इस दुःसाहसी कार्य की भनक मीडिया को भी लग चुकी थी। "कशीश चैनल" ने 19 जुन 2020 को लालफीताशाही के कारनामें को प्रमुखता से दिखाया एवं एक और समाचार पत्र "दैनिक भास्कर" ने भी इस मामले को 23 जुन 2020 को प्रमुखता देते हुए अपने समाचार पत्र में छापा (समाचार पत्र का संबंधित पृष्ठ संलग्न)। इतना हो जाने के बावजुद अंचलाधिकारी, बोधगया के कान में जुँ तक न रेंगा। अन्नदाता तो सदियों से उपेक्षित समुदाय रहा है। उनकों कोई फर्क नहीं पड.ता। उनकों तो आदत हो गयी है कठिन परिस्थितियों में जीवन यापन करने की। दुर्भिक्षता और दरिद्रता उनका भाग्य है परन्तु नौकरशाहों का यही रवैया रहा तो किसी भी समय बोधगया और इसके आस-पास के गॉवों का वही हाल होगा जो पिछले वर्ष पटना और राजेंद्र नगर का हुआ था। नहर/पईन के पानी निकास मार्ग संकीर्ण/बंद हो जाने के कारण पानी का जमाव बढ. जाएगा जिससे बोधगया के साथ आस-पास के लगभग दस गॉव बाढ. में डूब जाएँगे । प्रबल संभावना है कि विदेशी और बौद्ध मंदिर भी बाढ. के लपेटे में आ जाएँगे। सारा मीडिया किसे उतरदायी ठहराएगी ये वर्णन करने की आवश्यकता नहीं है चाहे उतरदायित्व किसी और का ही क्यों न हो क्योंकि ये मामला मिडिया के संज्ञान में पहले ही आ चुका है।

7. महोदय, इस पुरे मामले के लिए भाग-दौड. करते हुए मुझे यह ज्ञान हुआ कि सबसे बड.ा अधिकारी तो बोधगया प्रखंड के अंचलाधिकारी महोदय है जिन्होंने जिलाधिकारी, जिला लोकशिकायत निवारण और प्रमंडलीय आयुक्त, लोकशिकायत निवारण के आदेशों का पालन नहीं किया। अकेले अंचलाधिकारी महोदय ने अपने दम पर इस योजना को पूर्ण नहीं होने दिया और सारे विभागों का अतुल्य समय बर्बाद किया। संयोग देखिए जून के अंत में इनका तबादला भी हो गया। माननीय मुख्यमंत्री जी जबतक लोकशिकायत निवारण के आदेश में निर्धारित समय के अंदर कार्यवाई न होने पर दंड का प्रावधान न किया जाएगा तथा संबंधित अधिकारी का वेतन न काटा जाएगा तबतक लोकशिकायत निवारण के आदेशों का अवहेलना होती रहेगी चाहे आप दस अपील क्यों न कर लें। याचिकाकर्ता को कोई लाभ नहीं होगा। महोदय, बोधगया प्रखंड के अंचलाधिकारी महोदय की कार्यशैली संदेह के घेरे में है उन्होंने किनके दवाब में आकर अतिक्रमण नहीं हटाया इसका संज्ञान लिया जाय। महोदय, राज्य सरकार की कार्य-प्रणाली, केंद्र सरकार की कार्य प्रणाली के समकक्ष या उससे बेहतर करना होगा तभी बिहार उतम प्रदर्शन कर पायेगा। विभाग को निर्देश निर्गत करने के बाद बीच-बीच में संबधित विभाग को रिमाइंडर भेजते रहना चाहिए जब तब कार्य पुर्ण न हो। केवल

Scanned by TapScanner

याचिकाकर्ता के परेशान होने से कुछ लाभ नहीं होगा क्योंकि उनको तो कार्यालय में अधिकारी घुसने तक नहीं देते और याचिकाकर्ता का नंबर भी ब्लॉक कर देते है।

8. उपरोक्त तथ्यों के आधार पर, मेरे कुछ प्रश्न है जैसेः- जिस योजना में मोटी कमाई हो केवल उसी योजना का डी.पी.आर बनेगा और कार्यवाही होगी? एक आम आदमी को जनहित कार्य के लिए जूते घिसने ही पड़ेंगे? क्या प्रमंडल और अनुमंडल से उपर है प्रखंड? जिला और प्रमंडल के लोक शिकायत निवारण का कोई महत्व नहीं है? यहाँ से परिवाद जीतने का कोई लाभ नहीं? लघु सिंचाई विभाग को भी नहर का नक्शा प्रार्थी को ही उपलब्ध कराना होगा? अगर इन प्रश्नों में से एक भी प्रश्न का उतर सकारात्मक है तो आपसे नम्र निवेदन है कि आने वाले विकट संकट के प्रति सरकार सचेत हो, इस मामले में बिहार सरकार स्वयं मध्यस्थता करते हुए अनंतकाल से चले आ रहे इस मामले का निपटारा करते हुए जीवनदायिनी नहर/पईन का जीर्णोद्धार करवाए तथा कार्य विलंब होने के कारण का भी संज्ञान लिया जाय ताकि राज्य के लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लोगों का विश्वास बना रहे और किसानों के चेहरे पर भी खुशहाली आ जाए। अगर उतेजना में मैने कहीं कड.वे शब्द का प्रयोग कर दिया हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हुँ।

एक पीड़ित एवं शोषित ग्रामीण

शिवा सक्सेना

(शिवा सक्सेना उर्फ शिवा जी कुशवाहा)
ग्राम+पोस्ट-मोचारीम, थाना-बोधगया
जिला-गया, बिहार - 824231

संलग्न - उपरोक्त वर्णित

प्रतिलिपि :-

प्रमंडलीय आयुक्त, मगध प्रमंडल गया
बिहार - 823002

श्रीमान/श्रीमती जिला पदाधिकारी
सदर गया, जिला-गया
बिहार - 823002

Scanned by TapScanner